प्रारंभिक परीक्षा

जैविक उत्पादों के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया MRA

संदर्भ

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने **जैविक उत्पादों** पर **पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MRA)** पर हस्ताक्षर किए।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- इस व्यवस्था के तहत, **दोनों देश एक-दूसरे की जैविक प्रमाणन प्रणालियों को स्वीकार करेंगे,** जिससे **अनुपालन में दोहराव कम होगा।**

MRA का महत्व -

- बाज़ार पहुँच का विस्तार।
- **अनुपालन लागत में कमी:** दोहरे परीक्षण, कागजी कार्रवाई और नियामक देरी में कमी।
- **किसानों की आजीविका:** जैविक उत्पादों को पारंपरिक उत्पादों की तुलना में 30-40% अधिक कीमत मिलती है।
- **उपभोक्ता विश्वास और पारदर्शिता:** यह मान्यता भारत के **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)** में विश्वास को दर्शाती है और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रमाणन की विश्वसनीयता को मज़बूत करती है।
- आर्थिक और कृषि-तकनीकी सहयोग के तहत भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों को और गहरा बनाती है।

भारत के जैविक क्षेत्र की स्थिति -

- **वैश्विक स्थिति (स्रोत: FIBL और IFOAM ईयरबुक, 2024): जैविक कृषि भूमि** के मामले में **भारत विश्व में दूसरे स्थान पर** है।
    - **जैविक उत्पादकों की संख्या में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान** पर है।
- **उत्पादन और निर्यात:** भारत ने वित्तवर्ष 2024 में 3.6 मिलियन टन प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया।
    - 2.61 लाख टन निर्यात किया गया, जिससे 494.8 मिलियन डॉलर की कमाई हुई।
    - **प्रमुख निर्यात गंतव्य:** अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, वियतनाम, न्यूज़ीलैंड, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड।
    - वित्त वर्ष 2025 में अकेले ऑस्ट्रेलिया को जैविक निर्यात 8.96 मिलियन डॉलर (2,781.58 मीट्रिक टन) रहा।
    - **जैविक उत्पादन में रेशेदार फसलों का सबसे बड़ा हिस्सा होता है।**
- जैविक खेती के अंतर्गत 7.3 मिलियन हेक्टेयर (वित्त वर्ष 2024)।
        - 4.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र।
        - 2.8 मिलियन हेक्टेयर वन्य संग्रहण क्षेत्र।
    - **प्रमाणित क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और अन्य राज्य हैं।**

स्रोत: लाइव मिंट

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड(CBFC)

संदर्भ

फिल्म "होमबाउंड" का ऑस्कर 2026 के लिए नामांकन ऐसे समय आया है जब CBFC मनमाने कट लगाने और फिल्मों पर अत्यधिक नियंत्रण रखने के आरोपों को लेकर बढ़ते विवादों में घिरा हुआ है।

CBFC के बारे में -

- **भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के अंतर्गत सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।**
- **कार्य:**
  - निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत फ़िल्मों को प्रमाणित करता है:
    - **U (यूनिवर्सल)** - सभी के लिए उपयुक्त।
    - **UA (अभिभावकीय मार्गदर्शन)** - 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अभिभावकीय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
    - **A (वयस्क)** - केवल वयस्कों के लिए।
    - **S (विशेष दर्शक)** - केवल डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि जैसे पेशेवरों/समूहों के लिए।
  - यदि कोई फिल्म दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसमें कटौती, संशोधन का सुझाव दिया जाता है या प्रमाणन देने से मना कर दिया जाता है।
  - **यह सुनिश्चित करता है कि फ़िल्में:**
    - भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमज़ोर न करें।
    - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या शालीनता को नुकसान न पहुँचाएँ।
    - धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाएँ।
    - हिंसा, नशीली दवाओं या अश्लीलता का महिमामंडन न करें।
- **संरचना: सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता।**
  - **द्वारा समर्थित:**
    - **जांच समितियां (EC)**: फिल्म समीक्षा का प्रथम स्तर।
    - **पुनरीक्षण समितियां (RC)**: जब फिल्म निर्माता जांच समितियों के निर्णयों को चुनौती देते हैं तो अपीलों की सुनवाई करती हैं।
    - **सलाहकार पैनल**: पूरे भारत में लगभग 1,000 सदस्य, जो फिल्म प्रमाणन में सहायता करते हैं।
- **कार्यकाल:**
  - **अध्यक्ष: कार्यकाल तीन वर्ष** का है, लेकिन सरकार इसे पहले भी बढ़ा या समाप्त कर सकती है।
  - **सदस्य: CBFC** में **अधिकतम 25 सदस्य** (अध्यक्ष सहित) होते हैं।
    - प्रत्येक **सदस्य** की **नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए** की जाती है।
    - कार्यकाल समाप्त होने के बाद सदस्यों की स्वतः पुनर्नियुक्ति नहीं होती; इसके लिए नई अधिसूचना की आवश्यकता होती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रगति प्लेटफॉर्म(Pragati platform)

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 49वीं प्रगति बैठक आयोजित की गई।

प्रगति/PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation) के बारे में -

- यह एक बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे **2015 में लॉन्च** किया गया था।
- **इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना तथा साथ ही सरकार (केन्द्र एवं राज्य दोनों) के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा करना है।**
- **प्रगति प्लेटफॉर्म तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों को एक साथ जोड़ता है:** डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।

प्रमुख विशेषताएँ -

- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है (पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मासिक प्रगति बैठकें।
- प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित की प्रगति की समीक्षा की:
  - बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (रेलवे, सड़क, बिजली, तेल और गैस, कोयला, विमानन, शिपिंग, आदि)।
  - प्रमुख कार्यक्रम (डिजिटल इंडिया, पीएमजीएसवाई, अमृत, आदि)।
  - CPGRAMS (केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतें।
- वास्तविक समय अपडेट के लिए जियो-टैग्ड परियोजना डेटा और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करता है।
- नागरिक-केंद्रित फोकस - यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवाएं बिना देरी के लोगों तक पहुंचें।

स्रोत: पीआईबी

वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025

संदर्भ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 25-28 सितंबर, 2025 को वर्ल्ड फ़ूड इंडिया का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है।

वर्ल्ड फ़ूड इंडिया के बारे में -

- **प्रस्तुतकर्ता:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)
    - पहला संस्करण 2017 में, दूसरा 2023 में, तीसरा 2024 में।
- **उद्देश्य:** भारत की खाद्य प्रसंस्करण शक्ति का प्रदर्शन, वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और भारत को "वैश्विक खाद्य केंद्र" के रूप में पेश करना।
- **प्रारूप**: प्रदर्शनियां, B2B/B2G/G2G बैठकें, सम्मेलन, राज्य एवं देश सत्र, फूड स्ट्रीट और स्टार्ट-अप शोकेस।

संबंधित तथ्य -

- **भारत दूध, प्याज और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, फल एवं सब्जियां और अंडे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।

स्रोत: पीआईबी

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए DSIR योजना

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र के तहत 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए "क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास" योजना को मंजूरी दी।

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना(CBHRD) के बारे में -

- **कार्यान्वयनकर्ता:** वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)।
- **कवरेज:**
    - भारत भर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान और विश्वविद्यालय।
    - युवा शोधकर्ताओं, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल फेलो, वैज्ञानिकों और संकाय के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:**
    - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित (STEM) क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों का एक मजबूत पूल बनाना।
    - प्रति मिलियन जनसंख्या पर भारत के शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करना।
    - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में भारत की प्रगति का समर्थन करना।
    - भारत को अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना।
- **CBHRD के अंतर्गत उप-योजनाएं:**
    - **डॉक्टरेट एवं पोस्टडॉक्टरेट फेलोशिप** - युवा शोधकर्ताओं को सहायता।
    - **बाह्य अनुसंधान योजना, एमेरिटस वैज्ञानिक योजना और भटनागर फैलोशिप** - अनुसंधान उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए।
    - **पुरस्कार योजना** - वैज्ञानिक उपलब्धियों की मान्यता और प्रोत्साहन।
    - **यात्रा एवं संगोष्ठी अनुदान योजना** - ज्ञान साझा करने, सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए।

स्रोत: पीआईबी

अग्नि प्राइम मिसाइल

संदर्भ

भारत ने **रेल आधारित लांचर** से **अग्नि-प्राइम मिसाइल** का **सफल परीक्षण** किया।

अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में -

- **यह स्वदेशी रूप से विकसित, मध्यम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।**
- **विकासकर्ता:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **रेंज: लगभग 1,200–2,000 किमी (मध्यम-रेंज - आईसीबीएम नहीं)।**
  - **प्रणोदन:** दो-चरणीय ठोस प्रणोदक मोटर।
  - **पारंपरिक या परमाणु आयुध ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया।**
  - कैनिस्टरयुक्त, जिससे तीव्र प्रतिक्रिया, लंबी भंडारण अवधि और आसान सड़क/रेल गतिशीलता संभव होती है।
  - **गतिशीलता**: सड़क-मोबाइल लॉन्चर अनुकूलता (जीवित रहने की क्षमता और दूसरे हमले की स्थिति में सुधार)।
  - **सामग्री और डिज़ाइन:** हल्के, सघन ढांचे के लिए मिश्रित सामग्रियों का उपयोग - अग्नि-**III** से लगभग 50% हल्का बताया गया है।
  - **मार्गदर्शन और सटीकता:** हमले की सटीकता में सुधार के लिए उन्नत नेविगेशन, सेंसर और मार्गदर्शन प्रणालियाँ (उपग्रह-सहायता प्राप्त अद्यतन/अतिरेक के साथ जड़त्वीय नेविगेशन)।
  - **संचालन:** ठोस ईंधन और कैनिस्टर भंडारण, प्रक्षेपण-पूर्व तैयारियों और रखरखाव की आवश्यकताओं को कम करते हैं।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चीन का K-वीज़ा

संदर्भ

चीन वैश्विक प्रतिभाओं के लिए K-वीज़ा नामक एक नई वीज़ा श्रेणी शुरू करेगा।

चीन के K-वीज़ा के बारे में -

- **लक्ष्य समूह:** STEM में स्नातक या उच्चतर डिग्री वाले विदेशी युवा, या मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसंधान/शिक्षण में लगे हुए युवा।
- पारंपरिक कार्य वीज़ा के विपरीत, इसमें नियोक्ता के प्रायोजन की आवश्यकता नहीं होती।
- **बहु प्रयोजनों की अनुमति:** अनुसंधान, शैक्षणिक आदान-प्रदान, उद्यमशीलता, सांस्कृतिक और तकनीक से संबंधित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **लचीलापन:** मौजूदा वीज़ा की तुलना में लंबे समय तक रहने, एकाधिक प्रविष्टियों और आसान नवीनीकरण की अनुमति मिलने की उम्मीद है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मुख्य परीक्षा

व्यक्तित्व अधिकार(Personality Rights)

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, जब उन्होंने एआई-जनित सामग्री के माध्यम से अपनी फ़ोटोज और आवाज़ों के दुरुपयोग की शिकायत की।

व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं?

- **परिभाषा:** व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के नाम, फ़ोटोज, समानता, आवाज, हस्ताक्षर और अन्य पहचान योग्य लक्षणों को अनधिकृत उपयोग से बचाते हैं।
- **उद्देश्य:** दूसरों को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बिना सहमति के व्यावसायिक शोषण करने से रोकना, विशेष रूप से उन मशहूर हस्तियों को जो अपनी पहचान के इर्द-गिर्द ब्रांड वैल्यू बनाते हैं।
- **दायरा:** यह सेलिब्रिटी से आगे बढ़कर आम नागरिकों तक भी फैला हुआ है, विशेष रूप से निजी फ़ोटोज के दुरुपयोग, बदला लेने वाली पोर्नोग्राफी या डीपफेक के मामलों में।

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों का कानूनी आधार -

- **संवैधानिक आधार: अनुच्छेद-21** (निजता, सम्मान और स्वायत्तता का अधिकार) में निहित।
- **वैधानिक सुरक्षा:**
  - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:**
    - धारा 38A - कलाकारों के अनन्य अधिकार।
    - धारा 38B - कलाकारों के नैतिक अधिकार (विकृति या दुरुपयोग को रोकना)।
- **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999:** मशहूर हस्तियों को नाम, हस्ताक्षर, कैचफ्रेज़ (जैसे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान) को ट्रेडमार्क करने की अनुमति देता है।
  - **धारा 27:** "पासिंग ऑफ" का सामान्य कानूनी अपकृत्य गलत बयानी और झूठे समर्थन को रोकता है।

व्यक्तित्व अधिकारों का न्यायिक विकास -

- **आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994):** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-21 के भाग के रूप में निजता को बरकरार रखा; **पहचान के उपयोग पर नियंत्रण को मान्यता दी।**
- **रजनीकांत मामला (मद्रास उच्च न्यायालय, 2015):** धोखाधड़ी के सबूत के बिना भी नाम/फ़ोटो के अनधिकृत फिल्म उपयोग पर रोक लगा दी गई।
- **अनिल कपूर बनाम विभिन्न संस्थाएं (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2023)**: संरक्षित आवाज, कैचफ्रेज़ और व्यक्तित्व; व्यंग्य और पैरोडी के लिए स्पष्ट मुक्त भाषण अपवाद।
- **जैकी श्रॉफ मामला (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2024):** ई-कॉमर्स और एआई चैटबॉट्स पर दुरुपयोग पर रोक लगाई गई; ब्रांड इक्विटी कमजोर करने पर जोर दिया गया।
- **अरिजीत सिंह बनाम कोडिबल वेंचर्स (बॉम्बे उच्च न्यायालय, 2024):** एआई का उपयोग करके वॉयस क्लोनिंग को उल्लंघन माना गया; जनरेटिव एआई जोखिमों पर प्रकाश डाला गया।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय (सितंबर 2025):** ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को उनकी फ़ोटोज और आवाजों के एआई-जनित दुरुपयोग के खिलाफ राहत दी गई।

हमें व्यक्तित्व अधिकारों की आवश्यकता क्यों है?

- **मानव गरिमा की रक्षा:** ऐसे दुरुपयोग को रोकता है जो व्यक्तियों की अपनी पहचान पर स्वायत्तता को छीन लेता है।
- **आर्थिक मूल्य की रक्षा:** सेलिब्रिटी और प्रभावशाली व्यक्ति ब्रांड इक्विटी बनाने में निवेश करते हैं; दुरुपयोग से उनकी बाजार क्षमता कमजोर हो जाती है।
- **एआई और डिजिटल दुरुपयोग का मुकाबला करना:** डीपफेक, वॉयस क्लोनिंग और हेरफेर की गई सामग्री से प्रतिष्ठा और वित्तीय क्षति हो सकती है।
- **सार्वजनिक धोखाधड़ी को रोकना:** उपभोक्ताओं को झूठे विज्ञापनों पर विश्वास करने से गुमराह होने से बचाता है।
- **सेलिब्रिटीज़ से परे सुरक्षा का विस्तार:** आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को डीपफेक, साइबर उत्पीड़न और बदले की भावना से प्रेरित पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करना।

चुनौतियाँ, चिंताएँ और नीतिगत खामियाँ -

- **व्यापक कानून का अभाव:** बौद्धिक संपदा कानूनों और न्यायिक उदाहरणों में सुरक्षा बिखरी हुई है; **कोई एकीकृत वैधानिक व्यवस्था नहीं है।**
- **अतिक्रमण बनाम मुक्त भाषण:** अत्यधिक संरक्षण से अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत संरक्षित वैध व्यंग्य, पैरोडी और आलोचना को खतरा हो सकता है।
- **प्रवर्तन कठिनाइयाँ:** ऑनलाइन सामग्री तेजी से फैलती है; उल्लंघनों का पता लगाना और उन्हें हटाना धीमा और संसाधन-गहन है।
- **दायरे में अस्पष्टता:** न्यायालय सेलिब्रिटी अधिकारों को दृढ़ता से मान्यता देते हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए सुरक्षा कमजोर और अविकसित बनी हुई है।
- **वैश्विक आयाम:** दुरुपयोग प्रायः विदेशों से शुरू होता है; सीमा पार प्रवर्तन तंत्र की कमी से सुरक्षा कठिन हो जाती है।
- **प्रौद्योगिकी अंतराल:** एआई-जनित सामग्री नियामक या न्यायिक प्रतिक्रियाओं की तुलना में तेजी से विकसित होती है।

आगे की राह -

- **व्यापक कानून:** एक समर्पित व्यक्तित्व अधिकार अधिनियम लागू करना जिसमें दायरे, अपवादों और उपायों को परिभाषित किया जाए।
- **स्पष्ट अपवाद:** व्यंग्य, पैरोडी, आलोचना, समाचार रिपोर्टिंग और शैक्षणिक उपयोग को छूट देकर मुक्त भाषण की रक्षा करना।
- **मज़बूत प्रवर्तन तंत्र:** ऑनलाइन दुरुपयोग के लिए त्वरित कार्रवाई। डीपफेक का सक्रिय रूप से पता लगाने के लिए तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहयोग।
- **जागरूकता:** नागरिकों, विशेषकर कमजोर समूहों को उनके अधिकारों और उपायों के बारे में शिक्षित करना।
- **क्षमता निर्माण:** डिजिटल अधिकार संरक्षण में न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन को प्रशिक्षित करना।
- **आम नागरिकों तक विस्तार:** सुनिश्चित करना कि व्यक्तित्व अधिकार केवल मशहूर हस्तियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि डीपफेक दुरुपयोग और लिंग आधारित लक्ष्यीकरण को भी संबोधित करना।
- **वैश्विक सहयोग:** व्यक्तित्व अधिकारों के सीमापार प्रवर्तन के लिए संधियों और द्विपक्षीय समझौतों पर कार्य करना।

स्रोत: द हिंदू

IBC संशोधन विधेयक 2025

संदर्भ

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारत के दिवाला ढांचे में लगातार हो रही देरी, प्रवर्तक प्रतिरोध और न्यायिक अस्पष्टताओं को दूर करना है, साथ ही ऋणदाता-संचालित, समयबद्ध समाधानों को सुदृढ़ करना है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 – अवलोकन

- **कंपनियों, साझेदारियों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए 2016 में अधिनियमित किया गया।**
- **उद्देश्य:** दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध, ऋणदाता-संचालित प्रक्रिया प्रदान करना और परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) 180 दिनों के भीतर (270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)।
  - भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) को नियामक बनाया गया है।
  - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
  - ऋणदाताओं की समिति (CoC) को समाधान योजना तय करने का अधिकार दिया गया।
  - आय के वितरण के लिए वाटरफॉल तंत्र।

IBC अपनाने के बाद भी बनी रहने वाली चुनौतियाँ -

- **समाधान में देरी:** सख्त समयसीमा के बावजूद, **मुकदमेबाजी और एनसीएलटी बैकलॉग के कारण, समाधान में औसतन 600-700 दिन लगते हैं।**
- **प्रमोटर प्रतिरोध:** निलंबित प्रमोटर अक्सर प्रक्रिया में देरी करने के लिए मुकदमेबाजी का सहारा लेते हैं, जिससे संहिता के ऋणदाता-संचालित इरादे को नुकसान पहुंचता है।
- **निम्न रिकवरी दर:** आरंभिक रिकवरी दर 40-45% थी, लेकिन अब यह गिरकर स्वीकृत दावों के ~30% पर आ गई है, जिससे प्रभावशीलता पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- **न्यायिक अस्पष्टता:** परस्पर विरोधी निर्णयों (जैसे, विदर्भ पावर बनाम इनोवेटिव इंडस्ट्रीज) ने प्रवेश और ऋणदाता अधिकारों पर अनिश्चितता पैदा की।
- **परिचालन ऋणदाताओं की चिंताएं: CoC** के नेतृत्व वाले निर्णय लेने में एमएसएमई और आपूर्तिकर्ताओं को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है।
- **उच्च परिसमापन दर:** स्वीकृत मामलों में से लगभग आधे का अंत परिसमापन में होता है, जो "पहले समाधान" सिद्धांत के विरुद्ध है।

IBC संशोधन विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान -

- **दिवाला मामलों का त्वरित निपटारा:**
  - **अनिवार्य स्वीकृति**: यदि चूक(default) सिद्ध हो जाती है और दस्तावेज सही हैं, तो एनसीएलटी को मामले को स्वीकार करना होगा (अब कोई विवेकाधिकार नहीं होगा)।
  - **चूक का प्रमाण(Proof of default):** वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अभिलेखों को निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
  - **समय-सीमा**: एनसीएलटी को 14 दिनों में निर्णय लेना होगा; किसी भी देरी के लिए स्पष्टीकरण देना होगा।
- **ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) – न्यायालय के बाहर का रास्ता**

  - **51% ऋण** रखने वाले लेनदार सीधे **दिवाला प्रक्रिया** शुरू कर सकते हैं।
  - कंपनी प्रबंधन जारी रहता है, लेकिन एक समाधान पेशेवर **वीटो शक्तियों के साथ पर्यवेक्षण करता है**।
  - प्रक्रिया **150 दिनों में पूरी होनी चाहिए**; यदि यह विफल हो जाती है, तो यह सामान्य CIRP में परिवर्तित हो जाती है।
- **समूह दिवाला ढांचा:**
  - एक ही समूह के अंतर्गत कम्पनियों के संयुक्त समाधान की अनुमति देता है।
  - सामान्य समाधान पेशेवर और ऋणदाताओं की समिति (CoC) संभव।
  - खंडित कार्यवाही से होने वाली मूल्य हानि को रोकता है (उदाहरणार्थ, वीडियोकॉन मामला)।
- **सीमा पार दिवाला:**
  - विदेश में भारतीय दिवाला को मान्यता देने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
  - ऋणदाताओं को विदेशी परिसंपत्तियों की वसूली में सहायता करता है।
  - **UNCITRAL मॉडल कानून** और वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित।
- **अन्य प्रमुख परिवर्तन:**
  - **प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी (PPIRP) का** विस्तार किया गया, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए, ताकि पुनर्गठन के दौरान व्यवसायों को चालू रखा जा सके।
  - मामलों में तेजी लाने के लिए अधिक एनसीएलटी बेंच और दावा समयसीमा बढ़ाई गई।

संशोधन द्वारा पूरी तरह से संबोधित नहीं किए गए मुद्दे -

- **अन्य कानूनों के अंतर्गत वैधानिक बकाया:** पीएमएलए और ईपीएफओ दावों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण दिवाला पेशेवरों के लिए अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
- **एनसीएलटी क्षमता बाधाएं:** विधेयक समयसीमा को मजबूत करता है, लेकिन न्यायाधिकरणों में बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी को दूर नहीं करता है।
- **सीमा-पार दिवाला: एक व्यापक सीमा-पार दिवाला ढांचे** (UNCITRAL मॉडल कानून) को अपनाने में कोई प्रगति नहीं हुई है।
- **परिचालन ऋणदाताओं के अधिकार:** CoC में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं और परिचालन ऋणदाताओं की सीमित भागीदारी के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।
- **समाधान बनाम परिसमापन संतुलन:** उच्च परिसमापन दर (स्वीकृत मामलों में से 45% से अधिक मामले परिसमापन में समाप्त होते हैं) से पर्याप्त रूप से निपटा नहीं गया।

आगे की राह -

- **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना:** एनसीएलटी बेंचों का विस्तार करना, अधिक न्यायाधीशों और दिवाला पेशेवरों को नियुक्त करना, डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली अपनाना।
- **व्यापक स्पष्टीकरण:** पीएमएलए, ईपीएफओ बकाया और कर अधिकारियों के दावों के बारे में लंबित अस्पष्टताओं को दूर करना।
- **सीमापार दिवाला कानून अपनाना:** वैश्विक व्यापार संचालन और विदेशी निवेशकों के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण।
- **परिचालन ऋणदाताओं को सशक्त बनाना:** एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के साथ संतुलित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए COC मतदान संरचनाओं में सुधार करना।
- **प्री-पैक मॉडल को प्रोत्साहित करना:** एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए प्री-पैकेज्ड दिवाला प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि तेजी से समाधान सुनिश्चित हो सके।

- **रिकवरी फ्रेमवर्क को मजबूत करना:** रियल एस्टेट, एनबीएफसी और बुनियादी ढांचे के लिए उद्योग-विशिष्ट समाधान टेम्पलेट विकसित करना।

स्रोत: द हिंदू बिज़नेस लाइन

केस स्टडी

गुजरात की डेयरी क्वीन्स - बनासकांठा में महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी क्रांति

संदर्भ

गुजरात की डेयरी सहकारी समितियाँ, खासकर बनास डेयरी (GCMMF-अमूल की सदस्य), ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव ला रही हैं। महिला किसान, जो कभी घरेलू कामों तक ही सीमित रहती थीं, अब उच्च आय वाले डेयरी उद्यमों का नेतृत्व कर रही हैं।

मुख्य अंश -

- **महिलाओं की भागीदारी का स्तर:** बनास डेयरी को दूध की आपूर्ति करने वाले 4.72 लाख किसानों में से 1.68 लाख (36%) महिलाएं हैं।
    - महिलाएं 200-300 मवेशियों का प्रबंधन करती हैं और प्रतिदिन 1,000-1,500 लीटर दूध की आपूर्ति करती हैं।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** वित्त वर्ष 2024-25 में 14 महिला किसानों ने ₹1 करोड़ से अधिक की कमाई की।
    - **शीर्ष कमाई**: नवलबेन चौधरी - ₹2.04 करोड़, दरियानबेन राजपूत - ₹1.85 करोड़, तस्लीमबेन ज़वेरी - ₹1.93 करोड़।
    - **औसत मासिक आय:** ₹15-20 लाख।
    - परिवारों के पास अब आधुनिक घर, ट्रैक्टर और वाहन हैं।
- **सरकारी सहायता**:
    - गुजरात में 4,986 महिला-नेतृत्व वाली दुग्ध समितियाँ।
    - पशुपालन योजनाओं की महिला लाभार्थियों की संख्या 805 (2014-15) से बढ़कर 42,337 (2024-25) हो गई।
    - कुल मिलाकर, 10 वर्षों में 2.14 लाख महिलाएं लाभान्वित हुईं।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव -

- **महिला सशक्तिकरण:** जो महिलाएं कभी घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहती थीं, अब वे सहकारी समितियों का नेतृत्व करती हैं तथा बड़े समूहों का प्रबंधन करती हैं।
    - परिवारों में वित्त और निर्णय लेने पर अधिक नियंत्रण।
- **आर्थिक परिवर्तन:** ग्रामीण परिवार कच्चे मकानों से आधुनिक बंगलों की ओर बढ़ रहे हैं; दोपहिया, चार पहिया वाहनों और ट्रैक्टरों के स्वामित्व में वृद्धि हो रही है।
    - किसानों के खातों में मासिक 1,200 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष जमा राशि।
- **शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता:** बच्चों की शिक्षा में निवेश की गई घरेलू आय में वृद्धि हुई, जिससे पहले से पिछड़े जिले में साक्षरता में सुधार हुआ।
- **रोजगार सृजन:** प्रत्येक सफल डेयरी फार्म में मवेशियों की सफाई, भोजन और दूध निकालने के लिए कई सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं।
    - **उदाहरण:** तस्लीमबेन का खेत उनके अपने खेत के अलावा 22 परिवारों का भरण-पोषण करता है।
- **समावेशिता:** सभी समुदायों (हिंदू, मुस्लिम) की महिलाएं समान रूप से भाग ले रही हैं, सामाजिक बाधाओं को तोड़ रही हैं।

स्रोत: द हिंदू बिज़नेस लाइन